न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 28/2019

प्रार्थी

1. श्री गंगासिह पुत्र श्री शुभकरण जी उम्र 67 वर्ष जाति चारण निवासी चवरड़ा (रूपावास) तहसील पाली जिला पाली (राज0)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्धान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:आदेशः– दिनांक - 09.07.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम चवरड़ा (रूपावास) के खसरा नंबर 511/2 बीघा रकबा 05 बीघा भूमि है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 511/2 रकबा 05 किस्म बारानी सोयम की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम भांवरी के खसरा नंबर 660 रकबा 1444 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 511/2 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी सायम के उत्तरी दिशा में स्थित रास्ता A to B तक लम्बा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट/2019/754 दिनांक 15–05–19 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/19/2498 दिनांक 28–05–2019 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि प्रार्थी श्री गंगासिंह पुत्र श्री शुभकरण जाति चारण की खोतदारी भूमि ग्राम चवरड़ा (रूपावास) मे आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 511/2 रकब 5.00 बीघा किस्म बारानी रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी श्री गंगासिंह की खातेदारी भुमि राजस्व ग्राम भावंरी के खसरा नम्बर 660 रकबा के पास स्थित है प्रार्थी ने ग्राम भांवरी के खसरा नम्बर 660 रकबा 1444/3 बीघा किस्म गो.मु. मगरा मे से लम्बाई और चौड़ाई क्रमश 90X 4 के गट्टा = 18 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। मौका फर्द मे ख.न. 659 मे बिन्दु A से B राजस्व नकशा लट्ठा इस मे रास्ता डोटेड अस्थाई दर्शाया हुआ है। मोका फर्द मे दर्शाया गया बिन्दु CDE प्रार्थी के खेत मे जाने का प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता बिन्दु CDE के मध्य मे किसी भी प्रकार का काई वृक्ष इत्यादी व किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है। ग्राम भांवरी के असिंचित कृषि भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर 22464/– रूपए प्रति बीघा की है। उक्त दर से

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित भूमि का रकबा 18 बिस्वा की दुगुनी कीमत 40435.00 रूपये अक्षरे चालीस हजार चार सौ पेंतीस रूपयें है। प्रार्थी को नियमानुसार प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अनुशंक्षा की जाती है। एवं अन्य कोई दुसरा वैकल्पिक आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है।

3. बहस प्रा0पत्र उभयपक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने माफिक भू0अ0नि0, रूपावास,भांवरी की जांच रिपोर्ट के अनुरूप एवं नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा जो कीमत जमीन की है वे अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी को रास्ता हेतु भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. अतः तहसीलदार, पाली की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर जांच रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम भांवरी के खसरा नम्बर 660 रकबा 1444.13 बीघा किस्म गो.मु. मगरा मे से लम्बाई और चौड़ाई क्रमश 90 गट्टा X 4 के गट्टा अर्थात कुल रकबा 360 वर्ग गट्टा अर्थात 18 बिस्वा भूमि रास्ते जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे कृषि असिंचित भूमि ग्राम भांवरी वर्तमान डी. एल.सी. दर 22464/– प्रति बीघा से 18 बिस्वा की कीमत 20217.60/– व दुगनी राशि 40435/– अक्षरे चालिस हजार चार सौ पैतीस रूपये प्रार्थी से तहसीलदार, पाली द्वारा राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थी के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थी को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner